

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 03 जनवरी, 2020

प्रबंधी

**विषय:** जनपद देहरादून के विकासखण्ड जाडी से चकराता पाईप लाईन के निर्माण हेतु 0.0744 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु कमाण्डेट-22, चकराता, को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1627/FP/UK/WATER/42351/2019, दिनांक 06 जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद देहरादून के विकासखण्ड जाडी से चकराता पाईप लाईन के निर्माण हेतु 0.0744 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु कमाण्डेट-22, चकराता, को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :—

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०- 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०५-३/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 में जमा करने के तापांत ती पावनी की समाप्ति ताप ती पार्ट इन्डस्ट्रीज का बैंक ताप /

चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस—पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  - प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
  - प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
  - उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,  
*Subhash*  
(सुभाष चन्द्र)  
अप्रर सचिव।

संख्या: — (1)/X-3-20/2(01)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
  2. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
  4. जिलाधिकारी, जनपद—देहरादून।
  5. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
  6. कमाण्डेट—22, चकराता, उत्तराखण्ड।
  7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
त्यप्रकाश सिंह)  
उप सचिव।

नवर ग्रन्ति का संख्याक सर्व नोडल अधिकारी  
उत्तराखण्डमें सर्वेक्षण निवेशात्मक उत्तराखण्ड  
देहरादून  
पंजीय सं. ४५०।  
पंचायती ।-१२  
दिनांक ।००२-२०१०

~~7-2-20~~